[2018] 3 एस. सी. आर 115

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर.

वी.

मेसर्स दुर्गा परियोजना आई. एन. सी.

(2018 की सिविल अपील No.811)

मार्च 06,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003-एस। 4 (1) (ग) और (ख)-लागू कर की दर से पहले कार्य अनुबंध-आयोजितः

के. वी. ए. टी. अधिनियम 2003 ने इससे पहले कर की एक समान दर प्रदान नहीं की थी

01.04.2006 कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर-एस को लागू करने में इसे स्वीकार करना दूरगामी होगा। 4 (1) (ख), विधायिका कर की एक समान दर निर्धारित करने का इरादा रखती है, इससे पहले

1.4.2006 , कार्य अनुबंध में शामिल वस्तुओं के लिए-योजना

एस में कानून बनाया गया। 4 (1) दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची अनुभाग के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर कर की विशिष्ट दरों की परिकल्पना की गई है।

4 (1) (ख) एक अवशिष्ट प्रविष्टि प्रदान की गई जिसके तहत 'अन्य वस्तुओं के संबंध में' 12.5% की दर प्रदान की गई थी-यह

1.04.2006 कि राज्य विधानमंडल ने कर की एक समान दर को अनिवार्य कर दिया

छठी अनुसूची में दिए गए कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर-स्थिति जो 31.03.2006 तक मौजूद थी, उसे 1.04.2006 से बदल दिया गया था-यह नहीं कहा जा सकता है कि अब तक 31.03.2006 , एस। 4 (1) (ख) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के हस्तांतरण के लिए एक समान दर की परिकल्पना की गई।

प्रत्यर्थी-निर्धारिती, सिविल कार्यों को निष्पादित करने में लगे हुए

संपर्क, कर्नाटक मूल्य वर्धित के तहत दोनों पंजीकृत हैं

कर अधिनियम, 2003 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम। इसने इमारत खरीदी।

केवीएटी अधिनियम की तीसरी अनुसूची के तहत आने वाली सामग्री, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत घोषित माल और अन्य गैर -

राज्य के भीतर और बाहर से और अपंजीकृत विक्रेताओं से अनुसूचित माल। 31 जनवरी 2006 को, प्रतिवादी ने दायर किया

अग्रिम स्पष्टीकरण प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन और के लिए लागू कर की दर पर मार्गदर्शन के लिए निर्णय (एएआर)

के. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत सिविल कार्य अनुबंधों का निष्पादन। ए. ए. आर. ने माना कि चूंकि दर के लिए कोई विशिष्ट प्रविष्टि प्रदान नहीं की गई थी

आई. डी. 1 तक के कार्य अनुबंधों पर कर, कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर के. वी. ए. टी. के तहत वस्तुओं की बिक्री पर लागू कर की दर के अनुसार लगाया जाना चाहिए।

अधिनियम 2003। संशोधन में, ए. ए. आर. के आदेशों को गलत माना गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि 1.4.2006 से पहले की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए और 1.4.2006 के बाद की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 4 (1) (c) के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान अपील।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

कर की दर निर्धारित करता है। दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूचियों में उल्लिखित वस्तुओं पर कर की दर धारा 4 (1) (ए) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट की गई थी। भौतिक समय पर दूसरी अनुसूची ने 1 प्रतिशत की दर को आकर्षित किया, तीसरी अनुसूची ने 4 % और चौथी अनुसूची, 20 प्रतिशत। 'अन्य वस्तुओं' पर धारा 4 (1) (बी) के तहत कर की दर 12.5% थी। धारा 4 (1) (बी) में 'अन्य वस्तुएँ' अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है वे वस्तुएँ जो धारा 4 (1) (ए) द्वारा शासित नहीं हैं। जहाँ माल विशेष रूप से दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाता है, वहाँ ऐसी वस्तुओं को उन वस्तुओं से संबंधित विशिष्ट प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाएगा। के अवशिष्ट प्रावधानों का सहारा लेना

1.2 यह स्वीकार करना दूर की बात होगी कि धारा 4 (1) (बी) को लागू करने में, विधायिका का इरादा एक समान दर निर्धारित करना था - कर, 1.4.2006 से पहले, एक कार्य अनुबंध में शामिल वस्तुओं के लिए। धारा 4 (1) में विधिबद्ध इस योजना में दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची के भीतर आने वाली वस्तुओं पर कर की विशिष्ट दरों की परिकल्पना की गई है। जो धारा 4 (1) (बी) प्रदान की गई थी वह एक अवशिष्ट प्रविष्टि थी जिसके तहत 'अन्य वस्तुओं के संबंध में' 12.5% की दर प्रदान की गई थी। 'अन्य वस्तुओं के संबंध में' अभिव्यक्ति का अर्थ दूसरे, तीसरे और चौथे में आने वाली वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएँ थीं।

अनुसूची. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में निर्दिष्ट घोषित वस्तुओं को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के क्रम No.20 में समझा गया था।

के. वी. ए. टी. अधिनियम 2003 की तीसरी अनुसूची ने 4 प्रतिशत की दर आकर्षित की, जो उस अनुसूची में वस्तुओं पर लागू होती है। अभिव्यक्ति बिक्री की डीमिंग परिभाषा के परिणामस्वरूप, कर्नाटक और ए. एन. आर. के माल राज्य में संपत्ति का हस्तांतरण।

वी. मेसर्स दुर्गा परियोजना आई. एन. सी.

कार्य अनुबंध का निष्पादन सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित दरों पर कर योग्य है, जबकि कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल अन्य सभी सामान संशोधन पर छठी अनुसूची में निर्धारित दर पर कर योग्य हैं। संशोधन धारा 4 (1) (सी) को लागू करना 1 अप्रैल 2006 को प्रभावी हुआ। यह संशोधन स्पष्टीकरणात्मक नहीं है। यह 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी था कि राज्य विधानमंडल ने छठी अनुसूची में प्रदान किए गए कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर कर की एक समान दर को अनिवार्य कर दिया। 31 मार्च 2006 तक मौजूद स्थिति को 1 अप्रैल 2006 से बदल दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि 31 मार्च 2006 तक, धारा 4 (1) (बी) में कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के हस्तांतरण के लिए एक समान दर की परिकल्पना की गई थी। धारा 4 प्रत्येक व्यापारी पर कर का भुगतान करने का दायित्व लगाती है जो अपने कर योग्य कारोबार पर पंजीकृत है या होना आवश्यक है। धारा 2 (34) में कर योग्य कारोबार की अवधारणा को उस कारोबार के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जिस पर एक व्यापारी कर लगाने के लिए उत्तरदायी है, जो निर्धारित कुल कारोबार से कटौती करने के बाद निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार कर योग्य कारोबार की अवधारणा में 'कारोबार' और 'कुल कारोबार' शब्द शामिल हैं, दोनों को क्रमशः धारा 2 (36) और धारा 2 (35) में परिभाषित किया गया है। जिस तरीके से एक व्यापारी के कुल कारोबार की गणना की जाती है वह है -

सामान्य बिक्री के मामले में नियम 3 (1) (बी) में और [2018] 3 एस. सी. आर. में विहित।

नियम 3 (1) (सी), किसी कार्य अनुबंध के प्रयोजनों के लिए। कार्य अनुबंध के मामले में, कटौती की परिकल्पना नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत की गई है, जिसमें श्रम और अन्य शुल्क जैसी राशि शामिल हैं। धारा 7 में प्रावधान है कि माल की बिक्री को निम्नलिखित माना जाएगा - किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान माल के स्वामित्व या कब्जे या निगमन के हस्तांतरण के समय हुए हैं। अधिनियम के प्रावधानों पर दी गई व्याख्या जो 1.4.2006 से पहले मौजूद थी, इसके अनुरूप है

विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों का सादा अर्थ। यह निवेदन कि धारा 4 (1) (बी), जैसा कि यह 1.4.2006 से पहले मौजूद थी, एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर कर की एक समान दर प्रदान करने वाली एक पकड़ प्रविष्टि थी, स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस तरह की संरचना उपयोग किए गए शब्दों के सादे अर्थ से नहीं निकलती है और वास्तव में उस आवश्यकता से गलत है जो उनके द्वारा महसूस की गई थी।

मूल्यांकन कार्यवाहियाँ। यह राज्य विधानसभाओं के लिए खुला था कि वे कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर कर की समान दरें प्रदान करें। कई राज्य विधानसभाओं ने ऐसा किया। कर्नाटक विधानमंडल ने 1.4.2006 से प्रभाव के साथ ऐसा किया, पहले नहीं। इस प्रकार, राज्य द्वारा पसंद की जाने वाली चुनौती में कोई योग्यता नहीं है कर्नाटक उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश के लिए। [पैरा 16 और 17] [133-ई-जी; 134-ए-एच; 135-ए-एफ]

गैनन डंकरली एंड कंपनी वी। राजस्थान राज्य

(1993) 1 एससीसी 364: [1992] 3 पूरक। एस. सी. आर. 103; डनलोप

इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ (1976) 2 एस. सी. सी. 241:

[1976] 2 एस. सी. आर. 98; भारत फोर्ज एंड प्रेस इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड वी. सीसीई (1990) 1 एससीसी 532: [1990] 1 एससीआर 60; एचपीएल केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीसीई (2006) 5 एससीसी 208: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 125; बलभागस हुलासचंद बनाम। उड़ीसा राज्य (1976) 2 एससीसी 44: [1976] 2 एस. सी. आर. 939; बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6

एससीसी 545: [2011] 7 एस. सी. आर. 416-संदर्भित।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. वी. मेसर्स दुर्गा परियोजना आई. एन. सी.

मामला कानून संदर्भ

[1992] 3 पूरक। एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1976] 2 एससीआर 98

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1990] 1 एससीआर 60

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

[2006] 1 पूरक। एससीआर 125

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1976] 2 एससीआर 939

पै

रा 6 (viii)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6 (viii)

[2011] 7 एससीआर 416

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 811

2018 .

उच्च न्यायालय के 28.09.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2010 के एस. टी. ए. सं. 72 में बैंगलोर में कर्नाटक के

के साथ

सिविल अपील सं। 812-817 2018 से।

देवदत्त कामत, एएजी, वी. एन. रघुपति, आदित्य भट, राजेश

इनामदार, जावेदुर रहमान, परीक्षित पी. अंगड़ी, अपीलार्थियों के वकील।

एस. के. बागरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारद्वाज एस. अयंगर, विकास उपाध्याय,

विदित, के. अजीत सिंह, एल. बद्री नारायणन, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री एल. चारनाया, विक्टर दास, सुश्री अपेक्षा मेहता, योगेंद्र अलदक, करण सचदेव, एम. पी. देवनाथ, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

2018 का नागरिक आवेदन संख्या 811:

(2013 की एसएलपी (सी) संख्या 27048 से बाहर निकलते हुए)

1. कर्नाटक राज्य एक प्रभाग के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।

उच्च न्यायालय की पीठ दिनांक 28 सितंबर 2012। उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा 1 अप्रैल 2006 से पहले कार्य अनुबंधों पर लागू कर की दर से संबंधित है जब कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 ('केवीएटी अधिनियम 2003') में संशोधन द्वारा धारा 4 (1) (सी) पेश की गई थी।

2. प्रतिवादी सिविल कार्य संपर्कों को निष्पादित करने में लगा हुआ है और केवीएटी अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर दोनों के तहत पंजीकृत है एक्ट करें। यह के. वी. ए. टी. अधिनियम की तीसरी अनुसूची के तहत आने वाले हार्डवेयर, रेत और ईंटों जैसी निर्माण सामग्री, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 के तहत घोषित वस्तुओं और राज्य के भीतर और बाहर से और अपंजीकृत विक्रेताओं से अन्य गैर-अनुसूचित वस्तुओं की खरीद करता है। 31 जनवरी 2006 को इसने केवीएटी अधिनियम के तहत सिविल कार्य अनुबंधों के निष्पादन के लिए लागू कर की दर पर मार्गदर्शन के लिए अग्रिम स्पष्टीकरण और निर्णय प्राधिकरण ('एएआर') के समक्ष एक आवेदन किया। ए. ए. आर. ने 2 अगस्त 2006 के अपने आदेश में कहा कि चूंकि कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं थी

31 मार्च 2006 तक के कार्य अनुबंधों पर कर की दर का प्रावधान करते हुए, कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर केवीएटी अधिनियम 2003 के तहत वस्तुओं की बिक्री पर लागू कर की दर के अनुसार लगाया जाना चाहिए। आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

" ..... सही ढंग से समझा गया कि केवीएटी अधिनियम के तहत कार्य अनुबंध पर कर की दर प्रदान करने वाली कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है, 31-3-2006 तक और इसलिए, इस पर लागू दर के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए।

कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं के प्रत्येक वर्ग का मूल्य। इसलिए, जहां तक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं की मानित बिक्री पर कर की दर का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कर वस्तु बिक्री अधिनियम पर लागू दर पर 31.03.2006 तक देय है। और के. वी. ए. टी. (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा, निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में कर लगाने के लिए खंड (सी) को धारा 4 (1) डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2006 में जोड़ा गया है।
किसी कार्य अनुबंध का, और अधिनियम की छठी अनुसूची को जोड़ना, कार्य अनुबंध की वस्तुओं/विवरणों को उनके अनुरूप कर की दर के साथ सूचीबद्ध करना। उक्त अनुसूची की प्रविष्टि 23 के अनुसार, "अन्य सभी कार्य अनुबंध जो उपरोक्त में से किसी में निर्दिष्ट नहीं हैं।

उपरोक्त श्रेणियों में से एक या अधिक के साथ समग्र अनुबंध सहित श्रेणियां कर के लिए उत्तरदायी हैं। सिविल कार्य अनुबंध उक्त प्रविष्टि के अंतर्गत आता है और इसलिए, केवल 12.5% कर के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, इसे तदनुसार स्पष्ट किया जाता है।

3. डीलर ने लोहे और इस्पात पर कर की दर के बारे में मूल आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर और स्पष्टीकरण मांगा।

सिविल कार्य अनुबंधों के निष्पादन में उपयोग किया जाता है। 7 दिसंबर 2006 के अपने फैसले में एएआर ने कहा कि लोहे और इस्पात पर लागू कर की दर 4 प्रतिशत है, अन्यथा कर की दर 12.5 प्रतिशत होगी।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. वी. मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स आई. एन. सी. [डा. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.]

4. इसके बाद, द्वारा संशोधन में एक आदेश पारित किया गया था

वाणिज्यिक कर आयुक्त (कर्नाटक), बैंगलोर ने कहा कि

ए. ए. आर. के आदेश गलत थे और राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल थे। आयुक्त के अनुसार, में एक मानित बिक्री है माल को कार्य में शामिल करके कार्य अनुबंध के निष्पादन की प्रक्रिया। यह सामानों की सामान्य बिक्री से अलग है। एक कार्य अनुबंध के मामले में, यह वस्तुओं का एक समूह है जिसे स्थानांतरित किया जाता है और व्यक्तिगत वस्तुओं की कोई बिक्री नहीं होती है। आयुक्त के अनुसार, 1 अप्रैल 2006 से धारा 4 (1) (सी) के संशोधन से पहले और बाद में, कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल के कर योग्य कारोबार पर कर लगाया जाता है। एक कार्य अनुबंध में कर योग्य कारोबार कुल विचार से कटौती की अनुमति देने के बाद निर्धारित किया जाता है।

केवीएटी नियम 2005 के नियम 3 (2) के तहत स्वीकार्य। दूसरी तरफ हाथ, माल की सामान्य बिक्री के मामले में, कुल बिक्री मूल्य का भुगतान किया जाता है

किसी विशेष वस्तु के लिए कर योग्य कारोबार होता है। ए. ए. आर. द्वारा स्पष्टीकरण को यह मानते हुए त्रुटिपूर्ण माना गया कि कार्य अनुबंध के निष्पादन में उपयोग के लिए खरीदे गए व्यक्तिगत सामान हैं

उसी रूप में अंतरित और यह निर्णय देते हुए कि कर योग्य कारोबार पर कर की दरें खरीदी गई प्रत्येक वस्तु पर लागू दरें होंगी। इस मामले को कानून के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा संबोधित करने के लिए खुला रखा गया था। 5. व्यापारी ने कर्नाटक के उच्च न्यायालय के समक्ष बिक्री कर अपील को प्राथमिकता दी, जो कर्नाटक के आयुक्त के पुनरीक्षण आदेश से व्यथित था।

वाणिज्यिक कर। 28 सितंबर 2012 के अपने फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और पुनरीक्षण में आदेश को रद्द करते हुए निम्नानुसार कहाः

" कार्य अनुबंध के तहत बिक्री केवल माल के हस्तांतरण की एक मानित बिक्री है और यह सामान्य बिक्री से अलग नहीं है। इसलिए, कार्य अनुबंध में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सामग्री की कीमत पर कर लगाया जाना चाहिए जैसे कि माल और सामग्री की बिक्री हो। जैसे ही उपयोग की गई वस्तु या सामग्री को सैद्धांतिक रूप से चल संपत्ति में शामिल किया जाता है, यह माना जाएगा कि कार्य अनुबंध में उपयोग की जाने वाली वस्तु की संपत्ति खरीदार को सौंप दी गई है। चल संपत्ति में वृद्धि। इसलिए, हमारा विचार है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश कानून के विपरीत है। 1-4-2006 से पहले की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार कर लगाया जाना है और 1-4-2006 के बाद की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 4 (1) (c) के अनुसार कर लगाया जाना है। अतः सारगर्भित

कानून के प्रश्न अपीलार्थी के पक्ष में रखे जाते हैं। "[2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. राज्य की ओर से अनुरोध किया गया है कि हालांकि धारा 4 (1) (सी) 1 अप्रैल 2006 से लागू की गई थी, लेकिन कार्य अनुबंधों के संबंध में अन्य सभी प्रावधान 2003 में अधिनियम की स्थापना के बाद से मौजूद थे। बिक्री (धारा 2 (29)), माल (धारा 2 (15)), कारोबार (धारा 2 (36)), कुल कारोबार (धारा 2 (35)) और कर योग्य कारोबार (धारा 2 (34)) की परिभाषाएं मूल कानून का एक हिस्सा थीं। कुल कारोबार के निर्धारण के लिए विशिष्ट तंत्र

सामान्य बिक्री और मानित बिक्री का संबंध भी 1 अप्रैल 2006 से पहले अस्तित्व में था। नतीजतन, श्री देवदत्त कामत द्वारा राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया है किः

(i) इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि केवीएटी अधिनियम ने 01.04.2006 से पहले भी कार्य अनुबंधों पर कर लगाने की परिकल्पना की थी; (ii) 01.04.2006 से पहले के कार्य अनुबंधों के लिए कर की दर धारा 4 (1) (बी), अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत आएगी। अवशिष्ट प्रविष्टि "अन्य वस्तुओं", अर्थात उन वस्तुओं के लिए कर की दर निर्धारित करती है जो किसी भी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट नहीं हैं। कार्य अनुबंध में शामिल माल भी धारा 2 (15) के तहत माल की परिभाषा के दायरे में आता है।

(iii) मानित बिक्री में, माल के समूह या अनुबंध के मूल्य को बेचे जाने वाले माल की मात्रा के रूप में लिया जाना है। यह विशेष रूप से नियम 3 (सी) में शामिल है;

((iv) मानित बिक्री के मामले में, 'कुल कारोबार' की अवधारणा माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार की कुल राशि है।

और यह एक सामान्य बिक्री के संबंध में 'कुल कारोबार' की अवधारणा के विपरीत है जहां यह प्रत्येक वस्तु का मूल्य है;

(v) यह तर्क कि 01.04.2006 से पहले कर की दर होनी चाहिए

कार्य अनुबंध में शामिल व्यक्तिगत वस्तुओं पर लगाया गया शुल्क अधिनियम और लागू नियमों के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ होगा जो कार्य अनुबंधों के संबंध में कर की दर की गणना के लिए एक अलग प्रक्रिया निर्धारित करते हैं [नियम 3 (1) (सी) धारा 4 (1), 2 (34), 2 (35) और 2 (36) के साथ पढ़ा जाता है];

(vi) यह तर्क कि एक कार्य अनुबंध में व्यक्तिगत वस्तुओं पर कर लगाया जाता है, अधिनियम की पूरी योजना को निम्न से पहले कर देगाः

01.04.2006 यह काम करने योग्य नहीं है और यह कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. से पहले के कार्य अनुबंधों पर शुल्क को समाप्त करने के बराबर होगा।

(vii) प्रत्यर्थी की दलीलें प्रभावी रूप से नियम 3 (1) (सी) के साथ पठित धारा 2 (29) को पूरी तरह से निरर्थक और निरर्थक बना देंगी। मानित बिक्री में कर योग्य घटना (धारा 7 देखें) का समय है

कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान माल का समावेश। इसलिए, कराधान की दर के निर्धारण को कर योग्य घटना से पहले की अवधि तक सीमित करने से के. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत कराधान की पूरी योजना अलग हो जाएगी; और

(viii) यह अच्छी तरह से तय है कि एक वैधानिक प्रावधान (बलभागस-हुलासचंद बनाम उड़ीसा राज्य, (1976) की अतिरेकता के खिलाफ एक धारणा है।

2 एससीसी 44]। इसके अलावा, यह सुझाव कि किसी कार्य अनुबंध में अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग कर लगाया जाना चाहिए, क़ानून को फिर से लिखने के बराबर है, जो इस व्याख्या की तय की गई तोप के खिलाफ है कि कर लगाने वाले क़ानून में कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता है। [बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2011) 6 एससीसी 545]।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. के. बागरिया इस तर्क का समर्थन करते हैं कि निम्नलिखित आधारों पर उच्च न्यायालयः

(i) 'गन्नन डंकरली एंड कंपनी बनाम राजस्थान राज्य' मामले में न्यायालय के फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य विधानसभाएं एक समान दर पर कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर कर लगा सकती हैं, जो व्यक्तिगत वस्तुओं पर लागू दरों से अलग है।

((ii) के. वी. ए. टी. अधिनियम 2003 में अधिनियमित किया गया था और इसकी धारा (धारा 3) 1 मई 2005 को लागू हुई थी। हालांकि गन्नन में

डंकरली एंड कंपनी (ऊपर), इस न्यायालय ने राज्य विधानसभाओं को एक समान दर पर कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर कर लगाने की अनुमति दी, कर्नाटक विधानमंडल ने ऐसा नहीं किया। 31 मार्च 2006 तक कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल सभी वस्तुओं पर एक समान दर का कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। (iii) उपरोक्त स्थिति को तब बदला गया था जब 2006 के अधिनियम 4 द्वारा 1 अप्रैल 2006 से धारा 4 में संशोधन किया गया था। फलस्वरूप,

खंड (ग), सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 और 15 के अधीन, कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल माल कर की एक समान दर के लिए उत्तरदायी हैं, जो छठे में कार्य अनुबंध के विवरण पर निर्भर करता है।

अनुसूची;

1 (1993) 1 एससीसी 364 [2018] 3 एस. सी. आर.

(iv) जहां तक घोषित वस्तुओं का संबंध है, धारा 4 (1) (ए) (ii) तीसरी अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर का प्रावधान करती है।

तीसरी अनुसूची का क्रम No.20 में निर्दिष्ट घोषित वस्तुओं को संदर्भित करता है

सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 14। इसलिए, लोहा और इस्पात जिन्हें सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट माल घोषित किया गया था, वे तीसरी अनुसूची द्वारा कवर किए गए थे और 4 प्रतिशत पर कर के अधीन थे; तीसरी अनुसूची द्वारा कवर नहीं किए गए सामान धारा 4 (1) (बी) के तहत 12.5% पर कर के लिए उत्तरदायी थे;

(v) 01.04.2006 के बाद, धारा 4 (1) (c) को घोषित वस्तुओं के लिए सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 और 15 के अधीन कर दिया गया है। अतः घोषित माल

कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल अन्य सभी वस्तुएं सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित दरों पर कर योग्य हैं, जबकि अन्य सभी वस्तुएं छठी अनुसूची के तहत एक समान दर पर कर योग्य हैं। यह संशोधन 01.04.2006 से प्रभावी था और उसके बाद की अवधि के लिए कोई विवाद नहीं है;

(v) जहां तक कर की दर का संबंध है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, के. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 4 (1) जैसा कि प्रासंगिक अवधि के दौरान थी, अर्थात 31.03.2006 तक विशेष रूप से लागू दरों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः

(क) धारा 14 में विनिर्दिष्ट घोषित वस्तुओं के संबंध में सी. एस. टी. अधिनियम @4 प्रतिशत (धारा 4 (1) (ए) (ii) तीसरे के क्रम No.20 के साथ पढ़ा जाता है।

अनुसूची);

(ख) द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में

धारा 4 (1) (ए) में उल्लिखित संबंधित दरों पर अनुसूचियाँ

उक्त अनुसूचियों के साथ पढ़ें;

(ग) अन्य वस्तुओं के संबंध में, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो धारा 4 (1) (ए), धारा 4 (1) (बी) के तहत धारा 4 (1) (ए), धारा 4 (1) (ए), धारा 4 (ए), धारा 4 (ए), धारा 4

किसी कार्य अनुबंध का निष्पादन। जहाँ तक धारा 4 (1) (बी) में "अन्य वस्तुओं" की अभिव्यक्ति का संबंध है, इसका अर्थ केवल धारा 4 (1) (ए) में शामिल वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं से है। दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची में उल्लिखित माल (इस मामले में विशेष रूप से तीसरी अनुसूची के क्रम संख्या 1 द्वारा कवर किए गए लोहे और इस्पात) विशेष रूप से उक्त अनुसूची द्वारा कवर किए गए थे और धारा 4 (1) (बी) में अवशिष्ट प्रविष्टि "अन्य वस्तुओं" के लिए उक्त अनुसूची द्वारा कवर किए गए इन विशिष्ट माल को भेजने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती थी। कानून की यह स्थिति कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है।

वी. मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स आई. एन. सी. [डा. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

डनलप इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ 2 में इस न्यायालय के निर्णय और

भारत फोर्ज एंड प्रेस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनाम सीसीई 3. (vi) गैनन डंकरले के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य विधानमंडलों के लिए इसमें शामिल सभी वस्तुओं पर कर लगाने की अनुमति है।

धारा 4 (1) के नए जोड़े गए खंड (सी) के तहत लागू हो गया। (vii) जहाँ तक सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 के तहत घोषित वस्तुओं का संबंध है, के. वी. ए. टी. अधिनियम से पहले और बाद में

यह स्पष्ट करता है कि कर की दर, भले ही किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में आपूर्ति की गई हो, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित दर होगी। के. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत, जैसा कि यह 31.03.2006 तक था, यह स्थिति तीसरी अनुसूची की धारा 4 (1) (ए) के साथ क्रमिक No.20 के तहत प्रबल थी। के. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत जैसा कि यह 01.04.2006 के बाद आता है, उक्त स्थिति को वैधानिक रूप से धारा 4 (1) (सी) में ही प्रदान किया गया है जिसे "केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 और 15 के अधीन" बनाया गया है।

(viii) सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत आने वाली घोषित वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर, तब भी जब ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है।

अनुच्छेद 366 (29ए) (बी) द्वारा कवर किए गए कार्य अनुबंध के निष्पादन में, सीएसटी अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा। कानून की इस स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 286 (3) (बी) में विशेष रूप से अनिवार्य किया गया है। इस पद को केवीएटी अधिनियम में पहले और बाद में भी वैधानिक रूप से शामिल किया गया है।

31.03.2006 .

(ix) अन्य राज्यों के वैट अधिनियमों की समीक्षा से संकेत मिलता है कि गन्नन डंकरली एंड कंपनी (उपरोक्त) में निर्णय के बाद, कुछ राज्यों ने कार्य अनुबंधों के निष्पादन में आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुओं पर कर की एक समान दर लगाने का विकल्प चुना। अन्य राज्यों ने अलग-अलग लागू दरों का प्रावधान किया। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा और तमिलनाडु के लिए वैट अधिनियमों के चित्रण के माध्यम से संदर्भ दिया जा सकता है।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

2 (1976) 2 एस. सी. सी. 241 3 3 (1990) 1 एस. सी. सी. 532 [2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. अपील में राज्य की ओर से जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, उनके विश्लेषण की सुविधा के लिए, 1 अप्रैल 2006 से पहले के. वी. ए. टी. अधिनियम 2003 के प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक होगा। 1 अप्रैल 2006 का महत्व है क्योंकि कर्नाटक में

2006 के अधिनियम 4, खंड (सी) को धारा 4 (1) में शामिल किया गया था ताकि कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल संपत्ति के हस्तांतरण पर कर की एक विशिष्ट दर को शामिल किया जा सके। छठी अनुसूची में विभिन्न विवरणों के कार्य अनुबंधों के लिए कर की दर निर्दिष्ट की गई थी। लेकिन 1 अप्रैल 2006 से पहले भी, जैसा कि हमारे विश्लेषण से पता चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्य अनुबंध के. वी. ए. टी. अधिनियम 2003 के तहत कर लगाने योग्य थे।

10. अधिनियम की धारा 3 प्रभार का प्रावधान है और इस प्रकार प्रदान करती है -

निम्नलिखित हैः

" 3. कर का शुल्क। - (1) यह कर राज्य में माल की प्रत्येक बिक्री पर किसी पंजीकृत विक्रेता या विक्रेता द्वारा लगाया जाएगा।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत।

(2) कर भी लगाया जाएगा और प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी व्यापारी द्वारा उसे कर योग्य वस्तुओं की बिक्री पर, अपने व्यवसाय के दौरान उपयोग के लिए, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाया जाएगा जो नहीं है

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत "।

कर का शुल्क माल की बिक्री पर है। वैधानिक अर्थ

"बिक्री" अभिव्यक्ति की धारा 3 (29) निम्नलिखित में निहित है।

शर्तेंः

" (29) ' सभी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ 'बिक्री' का अर्थ है नकदी या विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए व्यापार या व्यवसाय के दौरान एक व्यक्ति द्वारा माल में संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण (बंधक, परिकल्पना, शुल्क या गिरवी के अलावा) और इसमें शामिल हैं -

(ए) संपत्ति के अनुबंध के अनुसरण में अन्यथा एक हस्तांतरण

नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी माल में; (बी) माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या माल में)

किसी कार्य के निष्पादन में शामिल कुछ अन्य रूप)

अनुबंध; कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. वी. मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स आई. एन. सी. [डा. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.]

(ग) किराया खरीद या भुगतान की किसी भी प्रणाली पर माल की डिलीवरी।

किश्तों में; (घ) किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण (चाहे

या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए नहीं) नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य के लिए

मूल्यवान विचार "।

(जोर दिया गया)

'बिक्री' अभिव्यक्ति में माल में संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है।

माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) जो अनुबंध के निष्पादन में शामिल है। 'माल' अभिव्यक्ति को धारा 2 (15) में परिभाषित किया गया है -

सामग्री, वस्तुओं सहित सभी प्रकार की चल संपत्ति

एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं के साथ-साथ सामानः

और इसमें पशुधन, सभी सामग्री, वस्तुएँ और वस्तुएँ शामिल हैं। (जिसमें माल के रूप में या किसी अन्य रूप में शामिल है)

किसी कार्य अनुबंध या उस कार्य में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निष्पादन

चल संपत्ति की फिटिंग, सुधार या मरम्मत, और सभी फसलों, घास या उससे जुड़ी चीजों को उगाना, या इसका हिस्सा बनाना

ऐसी भूमि जिसे बेचने से पहले या उसके तहत काटने पर सहमति हो।

बिक्री का अनुबंध। ”

(जोर दिया गया)

1 अप्रैल 2006 को धारा 4 (1) (सी) की शुरूआत से पहले, धारा

निम्नलिखित शब्दों मेंः

" 4. कर और उसकी दरों के प्रति देयता। - (1) प्रत्येक विक्रेता जो है या

अपने कर योग्य कारोबार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, (क) में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में,

((i) दूसरी अनुसूची, एक प्रतिशत की दर से,

((ख) तीसरी अनुसूची, चार प्रतिशत की दर से, और ((iii) चौथी अनुसूची, बीस प्रतिशत की दर से।

(ख) अन्य वस्तुओं के संबंध में साढ़े बारह की दर से

प्रतिशत

। "[2018] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2006 के कर्नाटक अधिनियम 4 द्वारा, खंड (सी) को धारा 4 (1) में शामिल किया गया था। खंड (ग) इस प्रकार हैः

" (ग) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74) की धारा 14 और 15 के अधीन, छठी अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में, कॉलम में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट दरों पर।

(3) उक्त अनुसूची का "।

धारा 4 प्रत्येक व्यापारी के अपने कर योग्य कारोबार पर कर का भुगतान करने के दायित्व को निर्धारित करती है। 'कर योग्य कारोबार' अभिव्यक्ति को धारा 2 (34) में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार हैः

" (34) ' 'कर योग्य कारोबार' से वह कारोबार अभिप्रेत है जिस पर एक व्यापारी अपने कुल कारोबार से ऐसी कटौती करने के बाद निर्धारित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी तरीके से जो निर्धारित की जाएः

लेकिन इसमें अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान या भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान खरीद या बिक्री का कारोबार और बिक्री के अलावा राज्य के बाहर स्थानांतरित या भेजे गए माल का मूल्य शामिल नहीं होगा।

कर योग्य कारोबार में वह कारोबार शामिल होता है जिस पर एक व्यापारी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कुल कारोबार से इस तरह से कटौती करके कर योग्य कारोबार किया जाता है जो निर्धारित किया जाए।

अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार। 'कर योग्य कारोबार' की परिभाषा कुल कारोबार की परिभाषा से जुड़ी हुई है क्योंकि कुल कारोबार से ही निर्धारित कटौती की जाती है। धारा 2 (35) 'कुल' को परिभाषित करती है।

कारोबार ':

" (35) ' 'कुल कारोबार' का अर्थ है राज्य में व्यवसाय के सभी स्थानों पर एक व्यापारी के सभी सामानों में कुल कारोबार, चाहे ऐसे कारोबार का पूरा या कोई हिस्सा कर के लिए उत्तरदायी हो या नहीं, जिसमें अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान या भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान या हस्तांतरण या भेजे गए माल का मूल्य शामिल है।

बिक्री के माध्यम से नहीं तो राज्य के बाहर। कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर.

वी. मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स आई. एन. सी. [डा. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

धारा 2 (35) में 'कुल कारोबार' शब्द को व्यापारिक राज्य के सभी स्थानों पर सभी वस्तुओं में एक व्यापारी के समग्र कारोबार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, कुल कारोबार की परिभाषा कारोबार से जुड़ी हुई है। द.

धारा 2 (36) में अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" (36) ' 'परिवर्त्तन' से वह कुल राशि अभिप्रेत है जिसके लिए माल बेचा या वितरित किया जाता है या वितरित किया जाता है या किसी भी क्षेत्र में अन्यथा निपटाया जाता है। खंड (29) में निर्दिष्ट तरीकों के बारे में, एक व्यापारी द्वारा, या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य के माध्यम से, अपने स्वयं के खाते में या दूसरों के कारण,

राज्य के बाहर हस्तांतरित या भेजे गए माल का मूल्य बिक्री के माध्यम से और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जिनके लिए माल बेचा जाता है, उस राशि में डिलीवरी के समय या उससे पहले बेचे गए माल के संबंध में विक्रेता द्वारा की गई किसी भी चीज़ के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल होगी।

वहाँ से। स्पष्टीकरण। बिक्री के अलावा राज्य के बाहर अंतरित या भेजे गए माल का मूल्य वह राशि होगी जिसके लिए माल सामान्य रूप से विक्रेता द्वारा बेचा जाता है या ऐसी वस्तुओं का प्रचलित बाजार मूल्य जहां व्यापारी करता है।

सामान्य रूप से माल न बेचें।

धारा 7 में यह प्रावधान है कि माल की बिक्री कब ली जाती है।

:

" 7. माल की बिक्री का समय। - (1) माल की बिक्री अधिनियम, 1930 (1930 का केंद्रीय अधिनियम 3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

इस अधिनियम का उद्देश्य, और उप-धारा के अधीन

किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान भुगतान की प्राप्ति हो या न होः बशर्ते कि जहां कोई विक्रेता बिक्री की तारीख से चौदह दिनों के भीतर ऐसी बिक्री के संबंध में कर चालान जारी करता है, तो यह माना जाएगा कि बिक्री जब चालान जारी किया जाता है। "[2018] 3 एस. सी. आर.

इसलिए, किसी कार्य अनुबंध के मामले में, माल की बिक्री माल के निगमन के समय होती है।

एटियन।

11. के. वी. ए. टी. अधिनियम 2003 के तहत बनाए गए नियम-के. वी. ए. टी.

2005 - कुल कारोबार के निर्धारण के लिए प्रावधान। मौखिक बिक्री के मामले में, कुल कारोबार नियम 3 (1) (बी) में प्रदान किया गया है। कार्य संपर्क के मामले में कारोबार को नियम 3 (1) (सी) में परिभाषित किया गया है। 3 (1) , जहाँ तक सामग्री है, निम्नानुसार प्रदान की गई हैः

" भाग II

परिवर्तन पंजीकरण और भुगतान सुरक्षा

कुल और कर योग्य कारोबार का निर्धारण

(1) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक व्यापारी का कुल कारोबार,

का समुच्चय होगा

(क) विक्रेता द्वारा भुगतान की गई या देय कुल राशि

के संबंध में किसी भी वस्तु की खरीद के लिए विचार

धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत कौन सा कर देय है? (ख) विक्रेता को भुगतान की गई या देय कुल राशि

किसी भी माल की बिक्री, आपूर्ति या वितरण के लिए विचार जहां ऐसी बिक्री, आपूर्ति या वितरण राज्य के भीतर हुई है,

चाहे वह खुद व्यापारी द्वारा हो या अपने एजेंट के माध्यम से;

(ग) विक्रेता को भुगतान की गई या देय कुल राशि

माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार (चाहे वह माल के रूप में हो) या किसी अन्य रूप में) कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल है, जिसमें इस तरह के विचार के एक हिस्से के रूप में विक्रेता को अग्रिम रूप से भुगतान की गई कोई भी राशि शामिल है;

((घ) विक्रेता को भुगतान की गई या देय कुल राशि

किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए विचार

उद्देश्य (चाहे निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं); (ई) विक्रेता को भुगतान की गई या देय कुल राशि

किराए पर दिए गए माल के संबंध में विचार-खरीद या

किश्तों द्वारा भुगतान की कोई भी प्रणाली; (च) द्वारा प्राप्त और प्राप्य बिक्री मूल्यों का कुल योग

अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी माल की बिक्री और भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात और भारत के राज्य क्षेत्र में आयात के दौरान बिक्री के संबंध में विक्रेता; और कर्नाटक और ए. एन. आर. राज्य।

वी. मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स आई. एन. सी. [डा. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(छ) अंतरित या बाहर भेजी गई सभी वस्तुओं का मूल्य

बिक्री के माध्यम से नहीं बल्कि अन्यथा कहें। "

12. नियम 3 (2) के तहत, कर योग्य कारोबार की गणना नियम के तहत निर्धारित कुल कारोबार से कुछ कटौती की अनुमति देकर की जाती है।

3 (1) . की जाने वाली कटौती में वे कटौती शामिल हैं जो श्रम शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए खर्च की गई राशि के संबंध में की जाती हैं जिनमें शामिल नहीं हैं -

कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में माल में संपत्ति का हस्तांतरण। नियम 3 (2) के खंड (1) और (एम) इस प्रकार हैं:

" कर योग्य कारोबार का निर्धारण निम्नलिखित को अनुमति देकर किया जाएगाः

कुल कारोबार से कटौतीः

(1) वास्तव में श्रम शुल्क और अन्य समान शुल्कों के लिए खर्च की गई सभी राशि जिसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन के संबंध में माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है, जिसमें शामिल हैं -

किसी कार्य के निष्पादन में उपयोग किए गए माल के निर्माण, स्थापना, फिक्सिंग, फिटिंग या चालू करने के लिए किए गए शुल्क अनुबंध;

(एम) श्रम शुल्क और अन्य समान शुल्कों के लिए नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दर पर गणना की गई ऐसी राशियां जो किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में खर्च की जाती हैं, जब ऐसे शुल्क किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए लेखा पुस्तकों से पता लगाने योग्य नहीं होते हैं।

विक्रेता "। खंड (एम) के नीचे दी गई तालिका अनुबंधों के प्रकारों को निर्दिष्ट करती है और

अनुबंध के मूल्य के प्रतिशत के रूप में श्रम और समान शुल्क। सिद्धांत यह है कि कर योग्य कारोबार तक पहुंचने के लिए कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल श्रम शुल्क के कारण होने वाले खर्च को कुल कारोबार से बाहर रखा जाता है। कर का भुगतान करने की देयता धारा 4 के तहत कर योग्य कारोबार पर है।

13. वर्तमान मामले में विवाद 2005-06 से संबंधित है। यह मामला कर्नाटक राज्य में कानून की स्थिति से संबंधित है, जैसा कि यह तब तक था

31 मार्च 2006। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि 1 अप्रैल 2006 से पहले भी कार्य अनुबंध कर लगाने के योग्य थे। प्रभार अनुभाग, धारा 3, अनिवार्य करती है कि "वस्तुओं की प्रत्येक बिक्री पर कर लगाया जाएगा"। धारा 2 (29) में 'बिक्री' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'माल में संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण' जिसमें 'माल में संपत्ति का हस्तांतरण [2018] 3 एस. सी. आर. शामिल है।

(चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) जो कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल हो। इसी तरह, धारा 2 (15) में 'माल' अभिव्यक्ति की परिभाषा में "सभी प्रकार की चल संपत्ति" और कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल सभी सामग्रियों, वस्तुओं और वस्तुओं (वस्तुओं सहित, वस्तुओं के रूप में या किसी अन्य रूप में) का स्पष्ट संदर्भ है। 01.04.2006 से पहले और बाद में दोनों कार्यों के अनुबंधों के निष्पादन में शामिल माल की प्रभारिता एक ऐसा मामला है जो किसी भी संदेह के तत्व से परे है। कर्नाटक राज्य सहित राज्य के कानूनों में ऐसे प्रावधानों का संविधान के 46 वें संशोधन पर पालन किया गया, जिसके द्वारा 'वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया।

कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति के हस्तांतरण पर करों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 366 के खंड 29 ए में शामिल किया गया है।

14. धारा 4 प्रत्येक व्यापारी पर उसके कर योग्य कारोबार पर करों का भुगतान करने का दायित्व लगाती है। दायित्व अधिरोपित करने के अलावा, धारा 4 निर्धारित करती है कर की दर। दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूचियों में उल्लिखित वस्तुओं पर कर की दर धारा 4 (1) (ए) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट की गई थी। उस समय दूसरी अनुसूची में 1 प्रतिशत, तीसरी अनुसूची में 4 प्रतिशत और चौथी अनुसूची में 20 प्रतिशत की दर थी। 'अन्य वस्तुओं' पर धारा 4 (1) (बी) के तहत कर की दर 12.5% थी। धारा 4 (1) (बी) में 'अन्य वस्तुएँ' अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप से अर्थ है वे वस्तुएँ जो धारा 4 (1) (ए) द्वारा शासित नहीं हैं। जहां माल विशेष रूप से दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाता है, ऐसे माल को उन वस्तुओं से संबंधित विशिष्ट प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाएगा।

सामान। धारा 4 (1) (बी) के अवशिष्ट प्रावधानों का सहारा केवल 'अन्य वस्तुओं' यानी उन वस्तुओं के संबंध में उपलब्ध होगा जो धारा 4 (1) (ए) के दायरे में नहीं आते हैं। अवशिष्ट प्रविष्टि के निर्माण पर कानून को इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है।

और उनमें से किसी एक का उल्लेख करना उचित होगाः एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. 1. डनलप इंडिया लिमिटेड में लिए गए निर्णयों को स्वीकार करने के बाद।

(ऊपर), और भारत फोर्ज एंड प्रेस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने दोहराया कि "केवल ऐसी वस्तुएँ जिन्हें इसके अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। शुल्क में विभिन्न विशिष्ट प्रविष्टियों को अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, जहां माल विशेष रूप से धारा 4 (1) (ए) के खंड (i), (ii), या (iii) द्वारा कवर किया गया है, धारा 4 (1) (बी) के अवशिष्ट प्रावधानों का सहारा उपलब्ध नहीं होगा। को।

अवशिष्ट प्रावधान को विशिष्ट का उपभोग करने की अनुमति देना विधायिका के इरादे को उलटना होगा। राज्य चाहता है कि हम ऐसा ही करें।

4 (2006) 5 एस. सी. सी. 208 कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. वी. मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स आई. एन. सी. [डा. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.]

15. गैनन डंकरली एंड कंपनी (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानसभाओं के लिए कर की एक समान दर निर्धारित करने की अनुमति है।

कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल सभी वस्तुओं के लिए, भले ही ऐसी वस्तुओं की बिक्री के लिए कर की अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। यह

इसके बाद अनुच्छेद 366 (29 ए) (बी) को शामिल किया गया। इस न्यायालय की राय में:

राज्य विधानमंडल के लिए वर्दी में कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल सभी वस्तुओं पर कर लगाने की अनुमति होगी। दर
जो अलग-अलग वस्तुओं पर लागू दरों से अलग हो सकती है क्योंकि जो वस्तुएं कार्यों में शामिल होने पर कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल होती हैं, उन्हें कर लगाने के उद्देश्य से एक अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है और ऐसी वस्तुओं की बिक्री के लिए एक समान दर निर्धारित की जा सकती है।

ताकि कर की एक समान दर का प्रावधान किया जा सके। इस न्यायालय के समक्ष वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या 1 अप्रैल 2006 से पहले, कर्नाटक ने वास्तव में ऐसा किया था। इसका जवाब नकारात्मक में है, पर

उपयोग किए गए शब्दों का एक सादा और स्वाभाविक अर्थ।

16. श्री देवदत्त कामत द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों का मूल यह है कि राज्य विधानमंडल ने

वास्तव में 1.4.2006 से पहले कार्य अनुबंधों के लिए एक समान दर निर्धारित की गई थी।

धारा 4 (1) (बी) में जिसके तहत 12.5% की दर प्रदान की गई थी। उसके प्रस्तुतिकरण में, घोषित वस्तुओं का अलग से मूल्यांकन किया जाएगा; जबकि कार्य अनुबंध में माल की शेष राशि का आकलन कुल कारोबार पर किया जाएगा, जो नियम 3 (1) (सी) के तहत निगमित है। हम खुद को निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ पाते हैं। हमारे विचार में, यह स्वीकार करना दूर की बात होगी कि धारा 4 (1) (बी) को लागू करने में, विधायिका का इरादा किसी कार्य अनुबंध में शामिल वस्तुओं के लिए आई. डी. 1 से पहले कर की एक समान दर निर्धारित करना था। धारा 4 (1) में विधिबद्ध इस योजना में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर कर की विशिष्ट दरों की परिकल्पना की गई है। अनुसूची. जो धारा 4 (1) (बी) प्रदान की गई थी वह एक अवशिष्ट प्रविष्टि थी जिसके तहत 'अन्य वस्तुओं के संबंध में' 12.5% की दर प्रदान की गई थी। 'अन्य वस्तुओं के संबंध में' अभिव्यक्ति का अर्थ दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची में आने वाली वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएँ थीं। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में निर्दिष्ट घोषित वस्तुओं को के. वी. ए. टी. अधिनियम [2018] 3 एस. सी. आर. की तीसरी अनुसूची के क्रमिक No.20 में समझा गया था।

2003 और 4 प्रतिशत की दर आकर्षित की, जो उस अनुसूची में वस्तुओं पर लागू होती थी। अभिव्यक्ति बिक्री की डीमिंग परिभाषा के परिणामस्वरूप, एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण कर के लिए स्पष्ट हो जाता है। कर के लिए विशिष्टता, यह तय कानून है, दर से अलग है

कर और कर का माप। गैन्नन डंकरली एंड कंपनी में, यह

न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यह राज्यों के लिए खुला है कि वे एक के निष्पादन के दौरान हस्तांतरित वस्तुओं पर कर की एक समान दर प्रदान करें

31 मार्च 2006 तक राज्य का। धारा 4 (1) (बी) में किसी कार्य के निष्पादन में शामिल माल के हस्तांतरण के लिए एक समान दर की परिकल्पना की गई है। अनुबंध। धारा 4 प्रत्येक व्यापारी पर कर का भुगतान करने का दायित्व लगाती है जो अपने कर योग्य कारोबार पर पंजीकृत है या होना आवश्यक है। धारा 2 (34) में कर योग्य कारोबार की अवधारणा को उस कारोबार के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जिस पर एक व्यापारी कर लगाने के लिए उत्तरदायी है, जो निर्धारित कुल कारोबार से कटौती करने के बाद निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार कर योग्य कारोबार की अवधारणा में 'कारोबार' और 'कुल कारोबार' शब्द शामिल हैं, दोनों को क्रमशः धारा 2 (36) और धारा 2 (35) में परिभाषित किया गया है।

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर. वी. मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स आई. एन. सी. [डा. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.]

अनुबंध, कटौती की परिकल्पना नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत की गई है, जिसमें श्रम और अन्य शुल्क जैसी राशि शामिल हैं। धारा 7 में प्रावधान है कि माल की बिक्री किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन के दौरान माल के स्वामित्व या कब्जे या निगमन के हस्तांतरण के समय हुई मानी जाएगी। हमारे विचार में, अधिनियम के प्रावधानों पर जो व्याख्या हमने रखी है, जैसा कि वे पहले से मौजूद थे 1.4.2006 विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सादे अर्थ के अनुरूप है। हम उस निवेदन की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं जो अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया है कि धारा 4 (1) (बी), जैसा कि 1.4.2006 से पहले मौजूद थी, एक पकड़ थी-एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर कर की एक समान दर प्रदान करने वाली सभी प्रविष्टियाँ। इस तरह का निर्माण उपयोग किए गए शब्दों के सादे अर्थ से नहीं निकलता है और वास्तव में विधायिका द्वारा महसूस की गई आवश्यकता से गलत है

केवल 1 अप्रैल 2006 से कर की एक समान दर लागू करें। निष्कर्ष निकालने से पहले, हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वर्तमान विवाद की उत्पत्ति उन कार्यवाहियों से होती है जो प्रत्यर्थी द्वारा ए. ए. आर. के समक्ष शुरू की गई थीं, जो कानून पर कर की लागू दर पर मार्गदर्शन मांग रही थीं क्योंकि यह 31.03.2006 तक मौजूद थी। यह कार्यवाही व्याख्या के मुद्दे को समाप्त करती है। हम बहुत सावधानी के साथ स्पष्ट करते हैं कि मूल्यांकन के दौरान तथ्यात्मक प्रकृति के मुद्दे निर्णय के लिए आते हैं।

कार्यवाही। यह राज्य विधानसभाओं के लिए खुला था कि वे कार्य अनुबंधों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं पर कर की समान दरें प्रदान करें। कई राज्य विधानसभाओं ने ऐसा किया। कर्नाटक विधानमंडल ने 1.4.2006 से प्रभाव के साथ ऐसा किया, पहले नहीं।

17. उपरोक्त कारणों से, हम पाते हैं कि कर्नाटक राज्य द्वारा विवादित निर्णय को चुनौती देने में कोई योग्यता नहीं है

और उच्च न्यायालय का आदेश। तदनुसार, अपील खारिज हो जाएगी। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

2018 का नागरिक आवेदन NOS.812-817:

(2015 के एसएलपी (सी) संख्या 10570-10575 से बाहर निकलते हुए)

18. उच्च न्यायालय ने अपने 25 सितंबर 2014 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा बिक्री कर संशोधन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 65 (1) कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण, [2018] 3 एस. सी. आर. के 26 अगस्त 2013 के आदेश के विरुद्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेंगलुरु। संशोधनों को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने मेसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स इंक बनाम मामले में 29 सितंबर 2012 के अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया।

कर्नाटक राज्य (2010 का एसटीए 72)। मैसर्स दुर्गा प्रोजेक्ट्स इंक. के मामले में कर्नाटक राज्य (2018 की सिविल अपील No.811) द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। वर्तमान अपीलों में कोई अलग निवेदन नहीं किया गया है। तदनुसार, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन